Gauravendra Swarup
Secretary, Board of Management
Dayanand Girls College
15/96, Civil Lines, Kanpur - 208 001
EPABX : (0512) 2305646, 2305648, 2305570 • Fax : 0512-2303111
E-mail : vsel1989@gmail.com

दिनांक: 12 सितम्बर 2017

सुश्री कुमुद लता सिंह
पुत्री श्री विद्याशकर सिंह
प्रतापपुर, पुरूषोत्तमपुर,
चुनार
जिला मिर्जापुर

महोदया,

आपकी नियुक्ति दयानन्द गर्ल्स कालेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर–शारीरिक शिक्षा के पद पर एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर की जाती है। यदि आपका कार्य संतोषजनक न हुआ तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष और बढ़ायी जा सकती है। आपको शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान 15600–39100 (ग्रेड पे0– 6000) यथासंशोधित के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य मंहगायी भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। उक्त आदेश शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के पत्रांक– डिग्री अर्थ–1/आयोग/1805/2017–18 दिनांक 25–8–2017 द्वारा की गयी आसन व्यवस्था के तहत निर्गत किया जा रहा है। आपकी नियुक्ति महाविद्यालय में डॉ0 शशि किरण सिंह के दिनांक 30–6–2013 को सेवानिवृत्ति से रिक्त पद के प्रति अनुमन्य की जाती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 21 दिनों के अंदर महाविद्यालय की प्राचार्या के समक्ष उपस्थित होकर अपने कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायें। आपको कार्यभार ग्रहण करने की तभी अनुमति दी जायेगी जब आप कार्यरत संस्था से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगी।

(गौरवेन्द्र स्वरूप)
सचिव–प्रबंध समिति

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1– शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
3– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4– प्राचार्या, दयानन्द गर्ल्स कालेज, कानपुर।
5– कार्यालय अधीक्षक/लेखाकार/वेतन लिपिक, दयानन्द गर्ल्स कालेज, कानपुर।

(गौरवेन्द्र स्वरूप)
सचिव–प्रबंध समिति

7– संस्तुत अभ्यर्थी की आसन–व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिवर्तनीय होगी।

8– प्रबन्धतंत्र अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की आसन–व्यवस्था करते समय नियुक्ति पत्र में शासनादेश संख्या– 22/5/1982–का–2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गयी निम्न व्यवस्था का नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय :–

" यह नियुक्ति अनन्तिम है तथा जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो के सम्बन्ध में दावा झूठा है तो बिना किसी कारण बताये तथा झूठा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है के बारे में पूर्वाग्रह के बिना सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।"

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

नोट :– .....

भवदीय

डा0 (प्रीति गौतम)
संयुक्त निदेशक(उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक(उ0शि0),
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0 : डिग्री अर्थ–1(आयोग)/ 1805-09 /उसी तिथि को।

उक्त पत्र की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–5, लखनऊ।
2– प्राचार्य, दयानन्द गर्ल्स पी0जी0 कालेज, कानपुर(उ0प्र0)।
3– संबंधित अभ्यर्थी को इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि वे कृपया :–
(क) इस पत्र की प्राप्ति से इस कार्यालय को तुरन्त सूचित करें।
(ख) महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्पर्क कर शीघ्रातिशीघ्र अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को भी दें।
(ग) प्रबन्धतंत्र द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आप उक्त नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है और ऐसी दशा में अन्यत्र किसी महाविद्यालय में आपकी आसन–व्यवस्था पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा तथा आपकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।
4– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
5– सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

डा0 (विनीता यादव)
सहायक निदेशक(उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक(उ0शि0),
उ0प्र0, इलाहाबाद।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)/सचिव
डिग्री अर्ह–1(आयोग)
इलाहाबाद।

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
दयानन्द गर्ल्स पी०जी० कालेज,
कानपुर(नगर)।

पत्रांक डिग्री अर्ह–1(आयोग)/ /2017–18 दिनांक 25/08/2017

विषय : विज्ञापन संख्या–46 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर **शारीरिक शिक्षा** वेतनबैंड 15600–39100 ग्रेड पे 6000 में रिक्त पद का संदर्भ लें जो **डा० शशि किरन सिंह** की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध है।

2– उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र **संख्या– उ०शि० आयोग/276/2017–18 दिनांक 30/06/2017** द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर **शारीरिक शिक्षा** के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12–2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अधियाचन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

कुमुदलता सिंह
द्वारा राम भजन सिंह जी०ए०डी० सेक्शन सेण्ट्रल आफिस
बी०एच०यू०, वाराणसी।

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3– अतः एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजें तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें। इस सम्बंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाए।

4– संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा– 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा– 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अधिक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6– यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम बाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।